झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–491/2016– ..... /राँची, दिनांक .....

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **जमुनिया जलाशय योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग सहित पुनरूद्धार कार्य के लिए रू० 22.65 करोड़ (रूपये बाईस करोड़ पैंसठ लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के प्रक्षेत्राधीन हजारीबाग जिलान्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड में ग्राम– कुसुम्भा के निकट जमुनी नदी पर निर्मित जमुनिया जलाशय योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग कार्य हेतु रू० 22.65 करोड़ (रूपये बाईस करोड़ पैंसठ लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस कार्य के प्राक्कलन में नहर के मिट्टी तटबंधो को रूपांकित सेक्सन में लाने के साथ–साथ डैम के डाउनस्ट्रीम में डिस्टर्ब बोल्डर को व्यवस्थित करना, रिप–रैप, डैम के उपर पैरापेट वाल, डैम के स्लोप ड्रेन, टो–ड्रेन का जीर्णोद्धार कार्य, मिट्टी बाँध के आउटर स्लोप पर मिट्टी भराई, सीढ़ी इत्यादि का पुनर्निर्माण, दांयी मुख्य नहर के 7.77 कि०मी० (255 चेन) एवं बांयी मुख्य नहर के 2.44 कि०मी० (80 चेन) का पक्कीकरण (PCC lining) का प्रावधान किया गया है।

दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.78, 2.91 तथा 4.10 पर नया SLR Bridge का निर्माण, बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.77 एवं 2.16 पर नया SLR Bridge तथा कि०मी० 1.14, 1.31 एवं 1.67 पर SLR Bridge के पुनर्निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।

बकसपुरा शाखा नहर के कि०मी० 2.03 एवं 2.09 पर नया तथा कि०मी० 2.69 एवं 3.21 पर SLR Bridge के पुनर्निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।

दांयी मुख्य नहर के चेन सं०– 86 से 89 के बीच नहर तटबंध के Outer slope की सुरक्षा एवं स्थायित्व के लिये नहर के Country side में गार्डवाल निर्माण का प्रावधान है। दोनों मुख्य नहरों एवं शाखा नहरों के भिन्न–भिन्न बिन्दुओं पर 116 Outlet, 12 CD एवं 28 Fall के पुनर्निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।

4. योजना के मुख्य नहरों का लाईनिंग कार्य कराकर 570 हे० खरीफ सिंचाई एवं 100 हे० रब्बी सिंचाई सुविधा दी जा सकेगी। इस प्रकार 370 हे० खरीफ एवं 100 हे० रब्बी सहित कुल 470 हे० ह्रासित सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। इस योजना से लाभान्वित ग्रामों का नाम – चेडरा, बिशुनगढ़, नवादा, कुसुम्भा, निरघुना, बकसपुरा, भलुआ, डंडिया, बनासो, डंडा, बरमसिया एवं बाबुडीह है।

5. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारंभ कर जून 2020 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

6. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग होंगे।

7. इस योजना पर होने वाला व्यय, बजट उपबंध,

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

8. वर्ष 2017–18 के बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a. शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 20000.00 लाख

9. कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग से की जायेगी।

13. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा एवं मुख्य (योजना–सह–वित्त) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

15. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह० / –

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–491 / 2016– .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–491 / 2016– .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2 / पी०एम०सी० / कार्य–491 / 2016– 77/12-185 वि० / राँची, दिनांक 09.01.2018

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 / 2, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, जलपथ हजारीबाग / कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, हजारीबाग / ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / उप सचिव (अभियंत्रण) / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/01/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)